तारीख हुक्म 41/2023	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.05.2023	पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 केम्प के तहत केम्प कोर्ट घरटा पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से **प्रार्थी** अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में **प्रार्थी** द्वारा ग्राम भटेड़ा पटवार हल्का घरटा भू.अ.नि. डाबला तहसील बनेड़ा की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से **पत्थरगढी/सीमांकन** से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। **प्रार्थी** के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं। जमावंदी में स्थित खाता संख्या 127 के आराजी खसरा सं. 1362/1, 388/1, 858/1, 867 कुल किता 04 रकबा 1.7705 है0 भूमि **दर्ज रेकार्ड होने से प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। **भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा–भीलवाड़ा**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2024.01.18 12:15:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

पीठासीन अधिकारी निरमा बिश्नोई आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर –41 / 2023 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1– गोपाल पिता लादु गुर्जर निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा।

–प्रार्थी

बनाम

1– सुखदेव पिता काना गुर्जर निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा।
2– रोडू पिता मुला बलाई निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा।
3– ओमप्रकाश पिता लादु बलाई निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा।
4– उगमा पिता धन्ना भील निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा।
5– जगदीश पिता उंकार कलाण निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा।
6– रामकरण पिता मांगु खाती (सुथार) निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा।
7– बद्री पिता गंगाराम कीर निवासी निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा।
8– माधु पिता बालू भील निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा।
9– परमेश्वर पिता भीमा बलाई निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा।
10– तहसीलदार बनेड़ा।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थीः– इकबाल मो.छीपा

निर्णय

दिनांक :– 03 / 05 / 2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भटेड़ा पटवार हल्का घरटा भू.अ.नि. डाबला तहसील बनेड़ा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए **प्रार्थी** अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। ग्राम भटेड़ा पटवार हल्का [illegible] डाबला तहसील बनेड़ा मे स्थित खाता संख्या 127 के आराजी खसरा सं. 1362 / 1, 388 / 1, 858 / [illegible] 867 [illegible] किता 04 रकबा 1.7705 है० भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। **प्रार्थी** अपने खाते [illegible] की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2024.01.18 12:15:42 IST
Reason: SelfAttested

इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सारवन होने एवं प्रार्थीगण वाद ग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार होने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा बनेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 1362/1, 388/1, 858/1, 867 कुल किता 04 रकबा 1.7705 है0 भूमि एवं इससे लगती अप्रार्थिगण की आराजीयाज के मध्य सीमा–रेखा की स्पष्ट जानकारी के लिए नियमानुंसार सीमांकन की कार्यवाही करते हुए सीमा चिह्न रोपित करवाए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी उक्त आराजीयात के खातेदारान को विधिवत नोटिस तामिल करवाकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने बाबत पाबंद करें एवं सभी सम्बंधित खातेदारान को से लिखित में सहमती प्राप्त कर उनकी उपस्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 111 में विहित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए मुताबिक भू–नक्शा शीट के आधार पर मौके पर सीमांकन की कार्यवाही करवाते हुए प्रार्थीगण के खर्चे से प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 1362/1, 388/1, 858/1, 867 कुल किता 04 रकबा 1.7705 है0 एवं इससे लगती अप्रार्थीगण की आराजीयात की सीमा के मध्य सीमा–चिन्ह रोपित करावें, यदि प्रार्थीगण का उपर्युक्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं हो या किसी न्यायायल का स्थगन आदेश प्रभावशील हो तो उपर्युक्त कार्यवाही नहीं की जावें, उपर्युक्त आदेश के आधार पर भू अभिलेख में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जावें, आदेश की पालना अपील की मियाद गुजरने के पश्चात की जावे, तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 03.05.2023 को केम्प कोर्ट मुख्यालय घरटा में मजमें आम में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2024.01.18 12:15:42 IST
Reason: SelfAttested

(निरमा बिश्नोई)
भू अभिलेख अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा–भीलवाड़ा